बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

कनॉट प्लेस शाखा नई दिल्ली–बी–29, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली, 110001, फोन नंबरः 23730449, 23321444,23730886
ई–मेलः bom343@mahabank.co.in
फैक्स नंबरः 23321754, आईएफएससी कोडः MAHB0000343

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधान कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे–411005

कब्जा–सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 31.01.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर 1. मैसर्स सीएमआई लिमिटेड (उधारकर्ता), 2. श्री पराग जैन (गारंटर), 3. श्री अमित जैन (गारंटर) और 4. श्री विश्व प्रभा जैन (गारंटर) को रु. 20,77,65,543.16/– (रुपये बीस करोड़ सतहत्तर लाख, पैंसठ हजार, पांच सौ तैंतालीस और सोलह पैसे मात्र) 31.01.2022 से प्रभावी संविदात्मक दर से 31.01.2022 से लागू न किया गया ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।(सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई थी)।

उधारकर्ता और गारंटर राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 जुलाई 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर यहाँ ऊपर उल्लिखित राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता और गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा अपने कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है :

समनुरूप आधार पर द्वितीय प्रभार के तहत ग्राम– भटौली, बद्दी, तहसील, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश–173205 में स्थित कंपनी की संपूर्ण चल फिक्स्ड संपत्तियों (वर्तमान और भविष्य दोनों) के साथ समनुरूप आधार पर द्वितीय प्रभार के तहत ग्राम भटौली, बद्दी, तहसील, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 173205 स्थित कंपनी की औद्योगिक संपत्ति।

दिनांकः 26.07.2022,
स्थानः नई दिल्ली

अधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

(कब्जा नोटिस) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत

यद्यपि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, **शाखा मथुरा कैंट, मथुरा** का प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न ऋणियों/जमानतकर्ताओं/बंधककर्ताओं को देय नोटिस जारी कर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान 60 दिनों के भीतर करने को कहा था। ऋणियों/जमानतकर्ताओं/बंधककर्ताओं के द्वारा निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान न किये जाने पर एतद्द्वारा ऋणियों/जमानतकर्ताओं/बंधककर्ताओं और सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13, उप–धारा 4 के साथ पठित उपरोक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। ऋणियों/बंधककर्ताओं ध्यान, बंधक सम्पत्तियों को मुक्त कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा से संबंधित, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 की तरफ आकर्षित किया जाता है। ऋणियों/बंधककर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को समान्यतः चेतावनी दी जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों में किसी भी प्रकार कि लेन देन/व्यवहार न करें, सम्पत्तियों के संबंध में किया गया संव्यवहार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि व उस पर ब्याज व अन्य व्यय आदि के अधीन होगा।

ऋणियों/गारंटरों का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार	मांग सूचना की तिथि धनराशि (रू0) कब्जे की तिथि
ऋणी–श्री बानी सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह।	व्यावसायिक सम्पत्ति के सभी भाग एवं खण्ड स्थित प्लॉट नं0 4ए/सी–7 (भाग), कृष्णा विहार आवास विकास योजना, मौजा मथुरा बांगर, जिला–मथुरा (उ0प्र0), एरिया–44.40 वर्ग मी, सम्पत्ति श्री बानी सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह के नाम, **चौहद्दीः** पूर्व–विक्रता श्री होशियार सिंह की भूमि, पश्चिम– आशा रानी की सम्पत्ति, उत्तर– खरीदार की सम्पत्ति, दक्षिण– रास्ता।	सांकेतिक	20.05.2021 रू0 3,67,180/- + ब्याज व अन्य खर्चे 22.07.2022
ऋणी–श्री महावीर प्रताप सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप सिसोदिया।	1. आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग एवं खण्ड स्थित प्लॉट नं0 33, नवनीत नगर, मौजा मथुरा बांगर, जिला–मथुरा (उ0प्र0), एरिया–139.40 वर्ग मी, सम्पत्ति श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री राम स्वरूप सिसोदिया के नाम, **चौहद्दीः** पूर्व–रास्ता 15 फीट चौड़ा, पश्चिम– प्लॉट नं0 15, उत्तर– रास्ता 10 फीट चौड़ा, दक्षिण– प्लॉट नं0 32। 2. आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग एवं खण्ड स्थित दो प्लॉट नं0 7 एवं 8, बसंत विहार, मौजा मथुरा बांगर, जिला–मथुरा (उ0प्र0), एरिया–51.55 वर्ग मी, सम्पत्ति श्री राम स्वरूप सिसोदिया पुत्र श्री गनपत सिंह के नाम, **चौहद्दीः** पूर्व–प्लॉट नं0 8 का भाग, पश्चिम– रास्ता 15 फीट चौड़ा, उत्तर– महादेव प्रसाद का प्लॉट नं0 7 एवं 8 का भाग, दक्षिण– प्लॉट नं0 22 एवं 21 का भाग।	सांकेतिक	12.05.2021 रू0 21,24,702/- + ब्याज व अन्य खर्चे 22.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

IndiGo

इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड

सीआईएनः एल62100डीएल2004पीएलसी129768
पंजीकृत कार्यालयः अपर ग्राऊंड फ्लोर, थापर हाउस, गेट नं0 2,
वेस्टर्न विंग, 124 जनपथ, नई दिल्ली–110001, भारत
टेलीफोनः +91 9650098905; **फैक्सः** +91 11 43513200
ई–मेलः investors@goindigo.in; **वेबसाइटः** www.goindigo.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा होने वाली उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक से सम्बंधित सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम/ई–एजीएम) शुक्रवार, 26 अगस्त 2022 को सुबह 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित कारोबार को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

कोविड–19 महामारी के प्रसार को ध्यान मे रखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र सं० 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं० 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं० 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र सं० 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र सं० 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिपत्र सं० 2/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 एवं परिपत्र 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने अपने परिपत्र सं० SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 परिपत्र सं० SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र सं० SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ("सेबी परिपत्र") के माध्यम से ओएवीएम अथवा वीसी द्वारा एजीएम संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") सूचना के साथ कंपनी के सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेज दी जाएगी। सदस्य कृप्या यह भी ध्यान दें कि सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी वेबसाइट www.goindigo.in के Investor Relations अनुभाग एवं स्टॉक एक्सचेंजो अर्थात बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.nseindia.com तथा समन्वयक NSDL की वेबसाईट https:/www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध रहेंगे। सदस्य सिर्फ वीसी/ओवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं तथा https://www.evoting.nsdl.com पर ई – एजीएम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। ई–एजीएम में भाग लेने के निर्देष सूचना में दे दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के निर्धारण के उद्देश्य से की जाएगी।

ई–मेल पते पंजीकृत/अपलोड करने का तरीकाः

व्यक्तिगत सदस्यों के लिए एजीम में वीसी/ओवीएम के द्वारा भाग लेने एवं वोटिंग के लिए लॉग–इन करने का तरीका सूचना में दिया गया है।

जिन सदस्यों के ई–मेल पते कंपनी/डिपोजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपना ई–मेल पता निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत करा लें :

क. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने सम्बन्धित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को संपर्क कर के अपना ई–मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं।

ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ई–मेल पता एवं मोबाईल न० के विवरण देने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन प्रति, पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति, एवं पते के प्रमाण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र या पासपोर्ट के प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ई–मतदान के निर्देश के साथ सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने एवं अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराने के लिए कंपनी को ई–मेल पता investors@goindigo.in पर ई–मेल भेज कर अपना ई–मेल पता एवं मोबाईल न० पंजीकृत करा सकते हैं।

ई–मेल पते के सफल पंजीकरण के बाद, कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में वार्षिक रिपोर्ट और सूचना मिलेगी।

कंपनी सदस्यों को रिमोट ई–मतदान के माध्यम से सूचना में निर्धारित कारोबार पर अपना वोट डालने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–मतदान के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया सूचना में दी गई है। उक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट www.goindigo.in और NSDL की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।

जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉग–इन क्रेडेंशियल ले सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई–मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला था, वे ई–एजीएम के दौरान उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होंगे।

उपरोक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुपालन में सभी सदस्यों की जानकारी और सुविधा के लिए यह नोटिस जारी किया जा रहा है।

वास्ते इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड

दिनांकः 28 जुलाई, 2022
स्थान : गुरुग्राम

हस्ता/–
संजय गुप्ता
कंपनी सचिव तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ओए. सं. 64/2018

कैनरा बैंक **आवेदक**
विरूद्ध
एपेक्स सिस्टम एवं अन्य **प्रतिवादीगण**

सेवा में,

1. **मैसर्स एपेक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशकों के माध्यम से)**
   575/1, दयानंद कॉलोनी फायर स्टेशन के पास, न्यू रेलवे रोड गुड़गांव, हरियाणा **प्रतिवादी1.**
2. **श्री भूपिंदर ठाकुर (निदेशक)**
   575/1, दयानंद कॉलोनी फायर स्टेशन के पास, न्यू रेलवे रोड गुड़गांव, हरियाणा
   अन्य पताः निवासी आशीर्वाद कॉटेज तहसील कोठानाला के पास, तहसील और जिला–सोलन, हिमाचल प्रदेश **प्रतिवादी 2.**
3. **सुश्री शीतल ठाकुर** पत्नी श्री भूपिंदर ठाकुर (निदेशक)
   575/1, दयानंद कॉलोनी फायर स्टेशन के पास, न्यू रेलवे रोड गुड़गांव, हरियाणा
   अन्य पताः निवासी आशीर्वाद कॉटेज तहसील कोठानाला के पास, तहसील और जिला–सोलन, हिमाचल प्रदेश **प्रतिवादी 4.**

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध **रु. 31,79,113.90/– (रुपए इकतीस लाख उन्यासी हजार एक सौ तेरह तथा पैसे नब्बे मात्र)** की वसूली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **06–08–2022** को पूर्वा. 10.30 बजे विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है (अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें फोन नंबर 011–23748473)।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु :–

(i) सभी अधिवक्ता/विवादी **"Cisco Webex"** ऐप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ;
(ii) रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–I/तथा वसूली अधिकारी–II द्वारा मामलों की सुनवाई की अगली तिथि हेतु **"Meeting ID"** तथा **"Password"** अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल नामतः **"drt.gov.in"** पर सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होगा।
(iii) किसी कार्याधिक्य की स्थिति में, अधिवक्ता/विवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 011–23748473 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **29 जून, 2022** को दिया गया।

इस न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
वास्ते रजिस्ट्रार

प्रतिवादी आगे पूछताछ के लिए नीचे लिखे नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।
अमित के. डार, विद्वान रजिस्ट्रार, डीआरटी– I, नई दिल्ली,
फोन नंबर 011–23748473, ई–मेल : drt1delhi-dfs@nic.in

रजिस्टर्ड एडी/दस्ती/सम्पत्ति पर चिपकाना/
ड्रम बजाकर तथा प्रकाशन/डीआरटी के नोटिस बोर्ड द्वारा

ईएक्सएच. 62

बिक्री उद्घोषणा

कार्यालय वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-I, मुम्बई
2सरी मंजिल, टेलीफोन भवन, स्ट्रैंड रोड, कोलाबा मार्केट, कोलाबा, मुम्बई-400 005

आर.पी. नं. 2014 का 59 **दिनांक : 26.07.2022**

ऋण वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत विक्रय की उद्घोषणा

भारतीय स्टेट बैंक **... आवेदक/सर्टिफिकेट धारक**
बनाम
मैसर्स प्रिया क्रिएशन्स प्रा.लि. एवं अन्य **.... प्रतिवादी/सर्टिफिकेट देनदार**

सीडी नं.1:- मैसर्स प्रिया क्रिएशन्स प्रा. लिमिटेडः - 8 मुक्ति सागर, ओल्ड नगरदास एक्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069।
सीडी नंबर 2:- रितु एस. मिश्रा (निदेशक और गारंटर): - मकान नंबर 187, ब्लॉक-डी, सुशांत लोक -1, गांवः सरहौल चक्रपुर, गुड़गांव पिन-122002
सीडी नंबर 3:- श्री राकेश एस पांडे (निदेशक और गारंटर): -8, मुक्ति सागर, ओल्ड नगरदास एक्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069
सीडी नंबर 4: - श्री सत्य नारायण पांडे (गारंटर): - 8 मुक्ति सागर, ओल्ड नगरदास एक्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069।
सीडी नं.5:- श्री. रामचंद्र जे. चतुर्वेदी (गारंटर):- बी/201, सरस्वती अपार्टमेंट, सरस्वती टावर्स के पीछे, डॉ. एस. राधाकृष्ण मार्ग, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400069
सीडी नंबर 6:- श्री कौशिक एन. तन्ना (गारंटर):- 15-सी/25, तीसरी मंजिल, शंकर बारी लेन, चिरा बाजार, मुंबई-400 002

जबकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, मुम्बई ने सर्टिफिकेट देनदार से ब्याज तथा लागत सहित रु. 47,79,52,326.00/- की वसूली के लिए मूल आवेदन सं. 2013 का 97 में वसूली प्रमाणपत्र आहरित किया है और वसूली प्रमाणपत्र/डिक्री के अनुसार भावी ब्याज सहित रु. 63,24,40,992.00/- (रुपये तिरेसठ करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार नौ सौ बानबे मात्र) की वसूली की जानी है।

और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र की सन्तुष्टि में निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय का आदेश दिया है।

और जबकि लागत तथा ब्याज सहित रु. 63,24,40,992.00/- (रुपये तिरेसठ करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार नौ सौ बानबे मात्र) बकाया है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी द्वारा 30.08.2022 को 2.00 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न के बीच (आवश्यकतानुसार, बन्द होने से पूर्व संविदा के मामले में अन्तिम 5 मिनटों के स्वतः समय-सीमा विस्तार सहित) उक्त संपत्ति की बिक्री मै. मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bankeauction.com, तथा ई-मेल आईडी gujarat@c1india.com एवं support@bankeauction.com के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी। ई-नीलामी एजेंसी का सम्पर्क नम्बर : 0124-4302000, सम्पर्क व्यक्ति श्री हरीश गौड़ा, मोबाइल : +919594597555 ई-मेल : hareesh.gowda@c1india.com.

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत बैंक बिपिन किशोर बारा, मोबाइल : 8458955111 तथा लैण्डलाइन नम्बर 022-22811584

यह बिक्री नीचे अनुसूची में उल्लिखित के अनुसार उपर्युक्त नाम के प्रतिवादियों की सम्पत्ति का किया जायेगा और कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध दायित्व तथा दावे, जिनका अब तक निर्धारण किया गया है, वे सम्पत्ति के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि किसी भी लॉट के नॉक डाउन से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि राशि ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है, तो भी बिक्री को रोक दिया जायेगा।

विक्रय से सम्बन्धित कर्तव्य का पालन करने वाला कोई कार्यालय या कोई अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अर्जन या अर्जन के प्रयास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा में भाग नहीं लेगा। विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची तथा इसके तहत निर्मित नियमों में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर दिया गया है किन्तु अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आस्तियों की नीलामी निम्नलिखित विवरण के अनुसार की जायेगी :

लॉट की संख्या	सम्पत्ति का विवरण	निरीक्षण की तिथि	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	संविदा वृद्धि
1	बिल्ट अप एवं फ्रीहोल्ड सम्पत्ति मकान नं. 187, ब्लॉक-डी, माप 328.81 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 2773 वर्ग फीट, आवासीय कॉलोनी सुशान्त लोक-1, गुरुग्राम (हरियाणा)	23.08.2022	रु. 3,78,72,000/-	रु. 37,87,200/-	रु. 5,00,000/-

3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त लगे तथा ऐसा करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक हो तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।

4. उक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए आम जनता को एतद्वारा आमंत्रित किया जाता है। ईएमडी सहित ऑनलाइन प्रस्ताव मुम्बई में सर्टिफिकेट धारक बैंक के खाता सं. 32600800724 में, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, खाता आईएफएससी कोड नं. SBIN0000300 में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से देय है।

ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ टैन/पैन कार्ड, पते का प्रमाण अपलोड करना होगा। एक से अधिक सम्पत्ति के अलग-अलग प्रस्ताव देना होगा। ईएमडी और अन्य जानकारी/विवरण के साथ ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 26.08.2022 को शाम 4.30 बजे तक है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण 23.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच संपत्ति स्थल पर किया जा सकता है।

5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधानकी ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, वसूली अधिकारी I, डीआरटी-I, मुम्बई के पास 26.08.2022 को 4.300 बजे अप. तक जमा की जायेगी। विफल होने की स्थिति में संविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25% ईएमडी के समायोजन के बाद कथित खाते में ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार अगले बैंक कार्य दिवस को 4.00 बजे अप. तक जमा करना होगा।

7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवसमें ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित माध्यम में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, मुम्बई के पक्ष में पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक के मामले में, जमा राशि, बिक्री के खर्च को समायोजित करने के बाद, यदि अधोहस्ताक्षरी को उचित लगे, तो सरकार के पास जब्त किया जा सकता है और चूककर्ता खरीदार संपत्ति या जमा की गई राशि के सभी दावों से वंचित रहेगा। बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। इसके अलावा, क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि और बाद में बेची जाने वाली कीमत के बीच किसी भी कमी या अंतर को पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। नीलामी के बाद असफल संविदाकारों की ईएमडी सम्बन्धित बैंक द्वारा ऐसे संविदाकार द्वारा उल्लिखित खाता संख्या में ही वापस की जायेगी।

संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

लॉट की संख्या	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण सह-स्वामियों सहित जहां सम्पत्ति चूककर्ता तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य से संबंधित है	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के कोई अन्य ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
1	बिल्ट अप एवं फ्रीहोल्ड सम्पत्ति मकान नं. 187, ब्लॉक-डी, माप 328.81 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 2773 वर्ग फीट, आवासीय कॉलोनी सुशान्त लोक-1, गुरुग्राम (हरियाणा)	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 26 जुलाई, 2022 को।

ह./-
(अजीत त्रिपाठी)
वसूली अधिकारी, मुम्बई डीआरटी-I

मुहर

एनएचपीसी NHPC

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

CIN: L40101HR1975GOI032564
पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
ई-मेलः companysecretary@nhpc.nic.in, टेलीफैक्सः 0129-2588110,
वेबसाइटः www.nhpcindia.com

वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) /अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 46वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तिथियों और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

1. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू सभी प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर), कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के अन्य परिपत्रों के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 05.05.2022 तथा सेबी के परिपत्र दिनांक 13.05.2022, के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक आमंत्रण सूचना में विनिर्दिष्ट कारोबार को संपादित करने हेतु कंपनी की **46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)** वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी), अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से **गुरुवार, 25 अगस्त, 2022 को अपराह्न 12:30 बजे (भारतीय समयानुसार)** आयोजित की जाएगी।
2. सुसंगत परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। 46वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और ई–वोटिंग सेवा प्रदाता यानी मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।
3. सदस्य कृपया यह भी ध्यान दें कि संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स **शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 से गुरुवार, 25 अगस्त, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक बंद रहेंगे। निदेशक मंडल ने 25 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 10/– रुपये अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 0.50/– रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो आगामी 46वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी ने वार्षिक आम बैठक में घोषित होने पर, अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु **गुरुवार,11 अगस्त, 2022** को **"रिकॉर्ड तिथि"** के रूप में निर्धारित किया है। सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि पर सदस्य के रजिस्टर / लाभार्थी की सूची में शामिल होंगे, वे अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे।
4. ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः
   क. सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने का अवसर होगा। वार्षिक आम बैठक से पहले या वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से डीमैटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग का तरीका नोटिस में प्रदान किया जाएगा। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
   ख. ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल, नोटिस, जिसे ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा और कंपनी की वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, में प्रदान विभिन्न तरीकों से उपलब्ध कराया जाएगा।
5. लाभांश प्राप्त करने के लिए ई–मेल पंजीकृत करने और / या केवाईसी के साथ बैंक विवरण अद्यतन करने का तरीकाः–
   i. डीमेटेरियलाइज्ड मोड में धारित शेयरों के लिएः डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ विवरण पंजीकृत/ अद्यतन करें; तथा
   ii. भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिएः सेबी ने अपने दिनांक 03 नवंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से पैन का पंजीकरण, ई–मेल, बैंक विवरण और नामांकन विवरण सहित केवाईसी विवरण अनिवार्य कर दिया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट http%//www-nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Form%20ISR&1-pdf पर उपलब्ध आईएसआर 1 फॉर्म और अन्य प्रासंगिक फॉर्म विधिवत भरकर कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के पास अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 के पते पर या alankit.nhpc@alankit.com पर भेज दें।
6. **सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।**

यह सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए तथा एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी की गई है।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
(रूपा देब)
कम्पनी सचिव

दिनांकः जुलाई 27, 2022
स्थान : फरीदाबाद

SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES (O V, r 1, 5)
In the court of Sh. Vinod Kumar
District Judge (Commercial Court), North West
Room No. 406, 4th Floor, Rohini Courts, Delhi
CS (COMM)/109/2021
Dr. Nishi Nath Jha
Versus
Rajiv Sharma & Ors.

To,
M/S EAGL ARC AUTOMOBILE P. LTD.
C-89, Lower Basement
Lajpat Nagar, New Delhi-24

Whereas the plaintiff has instituted a suit against you for you are hereby summoned to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some persons able to answer all such questions, on the **19-10-2022 at 10:00 o'clock in the forenoon**, to answer the claim; and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defence and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set off or counter-claim, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be determined in your absence.

GIVEN under my hand and Seal of the Court, this 22-03-2022.

Sd/
District Judge (Commercial Court), North West
Rohini Courts, Delhi

Seal

दक्षिण रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से वरि. मंडल यांत्रिक अभियंता, दक्षिण रेलवे, मंडल कार्यालय, सलेम–636005 द्वारा हमारी ई–निविदा पोर्टल **www.ireps.gov.in** में दी गई निविदा सूचना के अनुसार निम्न कार्यों के लिये ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित हैं। सलेम मंडल में यांत्रिक शाखा के लिये ई–निविदा के लिये आवेदन करने के लिये ठेकेदारों/निविदाकारों को ई–निविदा पोर्टल **www.ireps.gov.in** में पंजीकरण कराना होगा तथा केवल ऑनलाइन निविदा स्वीकार की जाएगी। निविदा प्रपत्र मूल्य तथा ईएमडी का भुगतान ऑनलाइन भुगतान द्वारा ही किया जायेगा। वैध ईएमडी के बिना प्राप्त निविदा निरस्त कर दी जाएगी। निविदा प्रपत्र मूल्य तथा ईएमडी के भुगतान की अन्य कोई पद्धति स्वीकार नहीं की जाएगी। तकनीकी पात्रता मानदंड तथा वित्तीय पात्रता मानदंड पूरा करने के समर्थन में सभी दस्तावेजों तथा जमा की जाने वाली अन्य कोई दस्तावेज स्कैन की जाएगी तथा निविदा के साथ अपलोड की जाएगी। ई–निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकारों/ठेकेदारों का होगा।

1. **निविदा सूचना संख्या एवं तिथिः एसए–एम–06–2022 तिथि 22.07.2022**
2. **कार्य का नामः** सलेम स्टेशन पर क्विक वाटरिंग व्यवस्था की स्थापना
3. **अनुमानित मूल्यः** रु. 20326043.42/–
4. **धरोहर राशिः** रु. 2,51,600/–
5. **निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः** 16.8.2022 के 15.00 बजे
6. **निविदा खुलने की तिथि एवं समयः** 16.8.2022 के 15.30 बजे

वेब का पताः http://www.ireps.gov.in

उक्त निविदा का सम्पूर्ण विवरण ई–पोर्टल "www.ireps.gov.in" में दिया गया है। बोली जमा करने के विवरणों के लिये कृपया "www.ireps.gov.in" देखें।

कार्य की सीमा, निविदा की अनुमानित मूल्य, निविदा प्रपत्र मूल्य, ईएमडी, लोकेशन तथा अन्य दस्तावेजों के विवरणों के लिये कृपया वेबसाईट पोर्टल "www.ireps.gov.in" देखें।

उक्त पोर्टल द्वारा फ्लोट की गई निविदा के लिये ऑनलाइन बोली डिजीटली हस्ताक्षरित होनी चाहिये।

वरि. यांत्रिक मंडल अभियंता
दक्षिण रेलवे, सलेम

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

कनॉट प्लेस शाखा, नई दिल्ली बी-29 कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001,
फोनः 23730449, 23321444, 23730886,
ईमेल आईडीः bom343@mahabank.co.in
फैक्स नं.: 23321754, आईएफएससी कोड : MAHB000343

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक आफ महाराष्ट्र** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.01.2022 जारी कर **1. मै. सीएमआई लिमिटेड (ऋणधारक) 2. श्री पराग जैन (गारंटर), 3. श्री अमित जैन (गारंटर) तथा 4. श्री विश्व प्रभा जैन (गारंटर)** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 20,77,65,543.16/- (रुपये बीस करोड़ सतहत्तर लाख पैंसठ हजार पांच सौ तैंतालिस एवं पैसे सौलह मात्र)+31.01.2022 से अनुबंधित दर पर 31.01.22 के बाद अप्रयुक्त ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। (यह सूचना स्पीड पोस्ट से भेजी गई थी।)

ऋणधारक एवं गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जुलाई 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर वर्णित राशि के लिये **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टर का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बैंक के पास गिरवी तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

श्री अमित जैन के नाम में सेक्टर-12 (टी.एच.ए) आवासीय कॉलोनी, रामप्रस्थ, ग्राम महराजपुर, तहसील लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित प्लॉट नं. 173, ब्लॉक-सी, दूसरा तल (छत के अधिकार के साथ) में आवासीय सम्पत्ति।

तिथिः 22.07.2022, स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

कनॉट प्लेस शाखा नई दिल्ली–बी–29, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली, 110001, फोन नंबरः 23730449, 23321444,23730886
ई–मेलः bom343@mahabank.co.in
फैक्स नंबरः 23321754, आईएफएससी कोडः MAHB0000343

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधान कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे–411005

कब्जा–सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 31.01.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर 1. मैसर्स सीएमआई लिमिटेड (उधारकर्ता), 2. श्री पराग जैन (गारंटर), 3. श्री अमित जैन (गारंटर) और 4. श्री विश्व प्रभा जैन (गारंटर) को रु. 20,77,65,543.16/– (रुपये बीस करोड़ सतहत्तर लाख, पैंसठ हजार, पांच सौ तैंतालीस और सोलह पैसे मात्र) 31.01.2022 से प्रभावी संविदात्मक दर से 31.01.2022 से लागू न किया गया ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।(सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई थी)।

उधारकर्ता और गारंटर राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जुलाई 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर यहाँ ऊपर उल्लिखित राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता और गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा अपने कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है :

श्रीमती विश्व प्रभा जैन के नाम पर सी–483, योजना विहार, दिल्ली – 110092 में स्थित आवासीय संपत्ति।

दिनांकः 22.07.2022,
स्थानः नई दिल्ली

अधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
सिंडिकेट Syndicate

कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति के लिए, धारा13(4) के तहत

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद-13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन-देन केनरा बैंक, संबंधित शाखा को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	नोटिस तिथि	बकाया राशि
1.	**शाखाः पिलखुआ एसएमई 2 (18559)** **उधारकर्ताः श्रीमती रितू गर्ग पत्नी श्री विपिन गर्ग, 165, मोहल्ला चाह डिब्बा, पिलखुआ, हापुड़, मोबाईल 9899012914.**	एक दो मंजिला आवासीय मकान मुंसिपिल नं. 165 पुराना, जिसका क्षेत्रफल 28.65 वर्ग यार्डस, आई.ई. 28.64 वर्ग मीटर, मोहल्ला चाह डिब्बा, पिलखुआ, हापुड़। चौहद्दीः पूर्वः अशोक कुमार की सम्पत्ति, पश्चिमः रामौतार की सम्पत्ति, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः श्रीमती प्रेमवती की सम्पत्ति।	मांग नोटिस की तिथि 12.04.2022 कब्जा लेने की तिथि 21.07.2022	रू0. 1,35,423.89 + ब्याज एवं अन्य व्यय।
2.	**शाखाः पिलखुआ एसएमई 2 (18559)** **उधारकर्ताः 1. मै. लक्ष्मी दोना पत्तल, प्रो. श्री विपिन गर्ग, 165, मोहल्ला चाह डिब्बा, पिलखुआ, हापुड़, मोबाईल 06395662493.** **2. श्री विपिन गर्ग पुत्र श्री जय प्रकाश, 165, मोहल्ला चाह डिब्बा, पिलखुआ, हापुड़।**	एक दो मंजिला आवासीय मकान मुंसिपिल नं. 165 पुराना, जिसका क्षेत्रफल 28.65 वर्ग यार्डस, आई.ई. 28.64 वर्ग मीटर, मोहल्ला चाह डिब्बा, पिलखुआ, हापुड़। चौहद्दीः पूर्वः अशोक कुमार की सम्पत्ति, पश्चिमः रामौतार की सम्पत्ति, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः श्रीमती प्रेमवती की सम्पत्ति।	मांग नोटिस की तिथि 12.04.2022 कब्जा लेने की तिथि 21.07.2022	रू0. 4,36,427.84 + ब्याज एवं अन्य व्यय।

क्षेत्रीय कार्यालयः हापुड़। **प्राधिकृत अधिकारी**